

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला
हनुमानगढ़
पर्वी डिक्री

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.
निं-10 -370/2024

1. गुलाबी पत्नी महावीर सिंह जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
वादीया-
बनाम
1. महावीर सिंह पुत्र रामजरा जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. नरन्द्र कुमार पुत्र महावीर सिंह जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. सक्केस कुमार पुत्र महावीर सिंह जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- पवन कुमार पुत्र महावीर सिंह जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. अन्जू चौधरी पुत्री महावीर सिंह पत्नी सुभाष चौधरी जाति जाट निवासी हनुमानगढ़ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष बकाल वादी श्री राजय शर्मा व प्रतिवादी वकील जयनारायण शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य राबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुलोप डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादीया बक नं० 8 जीजीआर जमाबंदी संवत् 2075 से 78 खाता सं० 355/327 के प.न. 202/290 मु.न. 80 कि.न. 15/0.1900, 16/0.1900, 25/0.1900 प.न. 202/291 मु.न. 84 कि.न. 5/0.1900, 6/0.0250 प.न. 203/290 मु.न. 79 कि.न. 19/0.2530, 20/0.1900, 21/1/0.1650, 21/2/0.0250, 22/1/0.2280, 22/2/0.0250 हे कुल 1.6710 हे. भूमि की स्वतदार काश्तकार है उक्त आराजी में से प्रतिवादी स. 1 का हिस्सा कम किया जावे व वादीया का खाता प्रतिवादी स. 1 से अलग कर रकमराज अलग अलग कायम किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सदाम न्यायालय का रथगन नही हो वा उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दस्तावेज करे। सर्वो उभयपक्षाकारान अपना अपना बहन करे।

यह पर्वी डिक्री आज दिनांक 16/4/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण आर.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर टिब्बी।